जेपीआर 5–530

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

क्रमांक / जडि / मुअ / वा / सी– I / एफ4 (261)पार्ट-IX / प्रे0 302 दिनांक 6-2-2009

–: आदेश :–

विषय :– शहरी क्षैत्र में "गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों" (BPL) को रियायती दरों पर घरेलू सेवा के कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

वर्तमान में शहरी क्षैत्र में "गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों" (BPL) को घरेलू श्रेणी के कनेक्शन लेने के लिये "स्थाई चार्जेज" के अलावा अन्य राशियॉ जैसे कि लेबर एवं सुपरविजन चार्जेज, विद्युत उपभोग अमानत राशि, मीटर अमानत राशि एवं मीटर बक्से की कीमत भी जमा करानी पड़ती है । इस सम्बन्ध में प्रायः यह देखा गया है कि उपरोक्तानुसार जारी डिमाण्ड नोट की राशि शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों द्वारा जमा कराने में असमर्थता दर्शायी जाती है । अतः उनके द्वारा कनेक्शन नहीं लिया जाता हैं

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को भी घरेलू श्रेणी का कनेक्शन, शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में दिये जा रहे कनेक्शन की तरह रियायती दरों पर जारी किये जायेंगे।

अतः शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को घरेलू श्रेणी के कनेक्शन निम्नानुसार रियायती दरों पर दिये जायेंगेः–

1. स्थायी, लेबर एवं सुपरवीजन चार्जेज	रू 2500 / –
2. मीटर अमानत राशि एवं मीटर बक्से की कीमत	शुन्य
	रू. 2500 / –

उपरोक्त राशि के अलावा लाईन के पेटै अन्य कोई राशि नहीं ली जायेगी। आवेदक को 100 रू0 प्रति कि.वा. सम्बद्ध भार (Connected Load) के हिसाब से विद्युत उपभोग अमानत राशि 6(Six) द्वि–मासिक किश्तों में चालू विद्युत बिलो के साथ–साथ जमा करानी होगी।

उपरोक्त रियायती दरों की सुविधा लेने के लिये आवेदक को जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल परिवार होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

6-2-2009

(एन.एम.सरीन)

मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य)

Superintending Engineer (IT & CRP.)
F. I. No 5720 Date 10.2.09
AEN(IT/CRP-I/CRP-II)Acctt/Estt/PA

S.E. (IT & CRP)

E:\MEENA\Order-1.doc